न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या –15/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
01.श्रीमती लीला पत्नी श्री चुन्नीलाल पुत्री माता स्व0 केलीदेवी पुत्री स्व0 श्री बीजाराम उम्र 31 वर्ष जाति भील निवासी कडुम्बानाडा बडलानगर झंवर जिला जोधपुर। 02.श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री हडमानराम पुत्री माता स्व0 केलीदेवी पुत्री स्व0श्री बीजाराम उम्र 32 वर्ष जाति भील निवासी भाण्डूकला तहसील झंवर जिला जोधपुर। 03.श्रीमती तीजीदेवी पत्नी श्री दानाराम पुत्री माता स्व0 केलीदेवी पुत्री स्व0श्री बीजाराम उम्र 32 वर्ष जाति भील निवासी कुम्हारो का बास नन्दवान जिला जोधपुर। 04.पुखराज माता स्व0 केलीदेवी पुत्री स्व0श्री बीजाराम उम्र 37 वर्ष जाति भील 05.बाबुराम माता स्व0 केलीदेवी पुत्री स्व0श्री बीजाराम उम्र 36 वर्ष जाति भील 06.बगताराम माता स्व0 केलीदेवी पुत्री स्व0श्री बीजाराम उम्र 33 वर्ष जाति भील 07.भंवराराम माता केलीदेवी पुत्री स्व0 श्री बीजाराम उम्र 31 वर्ष सभी जातियान भील निवसीगण भीलो की ढाणिया लोरडी देजगरा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी		01.चनणी देवी पत्नी श्री देवाराम 02.बुदी देवी पुत्री श्री देवाराम 03.सोहनराम पुत्र देवाराम 04.कालुराम पुत्र पुसाराम सरक्षक माता पनकी देवी जाति भील निवासी ग्राम डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर। 05.दिनेश पुत्र पुसाराम 06.पानकी देवी पत्नी पुसाराम 07.भोमाराम पुत्र पुसाराम 08.मालाराम पुत्र पुसाराम 09.मीठुदेवी पुत्री पुसाराम 10.सीमादेवी पुत्री पुसाराम 11.लहरकी पत्नी धन्नाराम 12.शंकर पुत्र धन्नाराम सरक्षक माता लहरकी पत्नी धन्नाराम 13.ईश्वर पुत्र महेन्द्र सरक्षक महेन्द्र पुत्र ओमाराम जाति भील निवासी कडुम्बा नाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर 14.किरण पुत्री ओमाराम सरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 15.धनकी देवी पत्नी ओमाराम 16.पुनकी देवी पुत्री ओमाराम सरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमारमा 17.मनीषादेवी पुत्री ओमाराम सरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 18.राजूदेवी पुत्री ओमाराम सरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 19.श्रवणराम पुत्र ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 20.श्रीराम पुत्र ओमाराम संरक्षक माता धनकी देवी पत्नी ओमाराम 21.भूराराम पुत्र तेजाराम 22.मुन्नीदेवी पत्नी तेजाराम 23.राणाराम पुत्र तेजाराम 24.संगीता पुत्री तेजाराम 25.सवाई पुत्र तेजाराम जाति भील निवासीगण ग्राम डोली तहसील लूणी 26.राजस्थान राज्य जारिये सरपंच ग्राम पंचायत नारनाडी पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर। 27.तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 282 ग्राम नारनाडी तहसील– लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 26.06.1980 को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – अमरसिह चौधरी
2. रेस्पोडेन्ट सुचना के वाजूद अनुपस्थित।

:: आदेश ::

दिनांक : 3/1/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 282 दिनांक 26.06.1980 ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

प्रकार से है कि अपीलाण्ट के नाना व रेस्पोडेण्ट सख्या 1 से 25 के दादा स्व0 श्री बीजाराम पुत्र फुसाराम जी की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा नम्बर 118 रकबा 28 बीधा 19 बिस्वा यानि 4.6863 हैक्टर बारानी चतुर्थ वाके ग्राम नारनाडी पटवार हल्का नारनाडी भू–अभि–निरक्षक क्षेत्र बोरानाडा तहसील झवर मे आयी हुई है। जिस पर अपीलाण्ट के नाना का देहान्त के बाद उनके सभी वारिसानो का कानूनी हक हिस्सा बराबर निहित है उसक अनुसार ही उस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है अपीलाण्ट के नाना स्व बीजाराम पूत्र फुसारामजी का देहान्त होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप मे पत्नी समदादेवी देवाराम फुसाराम धन्नाराम तथा पुत्री केलीदेवी निहित हुए उन तीनो के देहान्त के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप मे रेस्पोडेन्टस् हुऐ। अपीलान्टस की नानी समदादेवी का भी पूर्व मे देहान्त हो गया तथा अपीलान्टस की माता केलीदेवी का देहान्त भी दिनांक 10.06.1998 हो हो गया। अपीलान्टस की माता केली विधिक वारिसान हम अपीलान्टस है परन्तु बीजाराम जी के देहान्त होने के बाद राजस्व अधिकारियो ने बिना साक्ष्य सबूत के नामान्तरकरण सख्या 282 भर कर उसके कोलम सॅख्या 14,15,16 मे अकित किया कि बीजाराम के फौत हुए एक वर्ष हुआ है तीन पुत्रो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हेतु पेश है जिस आधार पर कोलम सॅख्या 11 मे बीजाराम के देहान्त के बाद उनके सभी उत्तराधिकारी के नाम नामान्तरकरण नही भरकर मात्र रेस्पोडेण्टस संख्या 1 से 25 के पिता व दादा तीनो पुत्र देवाराम फुसाराम धन्नाराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर दिया। जबकि वादग्रस्त भूमि मे बीजाराम जी के उत्तराधिकारी के रूप मे अपीलान्टस की माता केलेदेवी का राजस्व रेकर्ड मे नाम अमल दरामद किया जाना चाहिये था उक्त म्युटेशन संख्या 282 के बिरूद्व यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट के नाना की खातेदारी पुश्तैनी कृषि भूमि खेत नम्बर 118 रकबा 28 बीधा 19 बिस्वा यानि 4.6863 हैक्टर बारानी चतुर्थ वाके ग्राम नारनाडी मे आई हुई है जिसमे अपीलाण्टस की माता का 1/4 हिस्सा बनता है व माता क देहान्त का होने के पश्चात अपीलान्टस प्रत्येक का 1/28–1/28 हिस्सा बराबर बनता है अपील मे अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम क नियमो की कतई पालना नही की है व नामान्तरकरण की पुश्त पर भी सजरा खानदान का उल्लेख नही किया गया। इस आधार पर आदेश जैर अपील काबिले खारिज है अपीलान्टस के साथ घोर अन्याय किया गया माननीय राजस्व मण्डल अजमेर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय क समय समय पर निर्धारित सिद्वतो एव न्यायिक निर्णयो क अनुसार पक्षकार को न्यायिक कार्यवाही करते समय पुर्ण रूप से सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तयुक्त अवसर दिया जावे। नामान्तरकरण दर्ज नही होने की जानकारी अपीलान्टस को सर्वप्रथम रेस्पोडेन्टस सॅख्या 1 से 25 ने केलीदेवी के हिस्से से बेदखल करने की धमकीया दिनांक 10.10.2022 का देकर कहा कि राजस्व रेकार्ड मे न तो तुम्हारा यानि अपीलान्टस का नाम दर्ज है न ही तुम्हारी माता केलीदेवी का नाम दर्ज है क्योकि बीजाराम के देहान्त को काफी वर्ष गुजर चुके होने एव उनके स्थान पर उसके तीनो पुत्रो क बाद हमारा नाम राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा है अब तुम्हारी माता केलीदेवी का भी देहान्त हुए काफी वर्ष हो चुके है इसलिए इस भूमि मे अब आपका कोई अधिकार हक हिस्सा नही है जबकि सम्पूर्ण भूमि मे रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 25 के साथ अपीलान्टस की माता केलीदेवी का 1/4 मे उनके बाद अपीलान्टस के प्रत्येक का 1/28 हिस्सा नाम अमल दरामद होना था जब जमाबन्दी की नकल अपीलान्टस ने दिनांक 20.10.2022 को जमाबन्दी प्रमाणित कोपी पटवारी से ली तथा जानकार से पढवाया तो पता चला कि अपीलान्टस का हिस्सा रेकर्ड मे इंन्द्राज नही है जब अपीलान्टस को रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 10.10.2022 को बेदखल करने की धमकीयो दी तो समाज को मोजिज व्याक्तियो से समझाईश की तो नही तब रिकार्ड मे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

नकल लेकर पढाया तो जानकारी हुई कि अपीलान्टस की माता का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है इसके साथ ही अपीलाण्ट ने म्याद अधिनियम के तहत धारा –5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनी प्रावधानो के विपरीत एव प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है जो शुन्य श्रेणी का होने जिनको चैलेन्ज करने की कोई म्याद नही है ऐसी स्थिति मे, प्रस्तुत अपील मे विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई कर आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि अपीलाण्टस के नाना स्व0 बीजाराम का नामान्तरकरण सख्या 282 दिनांक 26.06.1980 को भरा गया नामान्तरकरण जो विधि विरूद्व है तथा अपीलार्थीगण के नाना स्व0 बीजाराम की प्रथम श्रेणी के उताराधिकारी वारिसान है उताराधिकारी वारिसान के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण गहन जॉच कर पक्षकारों को नोटिस देकर सुना जाने के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था, जो ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो विधि विरूद्व है एव ग्राम पचायत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण सख्या 282 को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकारण सख्या 282 ग्राम नारनाडी स्वीकृत दिनांक 26.06.1980 ग्राम नारनाडी को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है प्रकरण तहसीलदार झंवर को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांटस के नाना स्व बीजाराम के सभी उत्तराधिकरी की विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

Scanned by CamScanner